उत्तर प्रदेश शासन
प्रशासनिक सुधार अनुभाग-२
संख्या-01/2018/211/43-2-2018-15/2(2)/2014
लखनऊ :: दिनांक 31 अगस्त, 2018

विज्ञप्ति

विषय:- उत्तर प्रदेश सूचना आयोग में सूचना आयुक्त के रिक्त दो पदों व दिनांक 06 जनवरी, 2019 को रिक्त होने वाले 08 पदों अर्थात् कुल 10 पदों पर नियुक्ति ।

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के प्राविधानों के अंतर्गत उत्तर प्रदेश सूचना आयोग नाम से एक निकाय का गठन किया गया है। उत्तर प्रदेश सूचना आयोग में मुख्य सूचना आयुक्त एवं दस से अनाधिक सूचना आयुक्त होंगे। उत्तर प्रदेश सूचना आयोग की वर्तमान संरचना **www.upic.gov.in** पर देखी जा सकती है । उत्तर प्रदेश सूचना आयोग में सूचना आयुक्तों की नियुक्ति, पदावधि और सेवा शर्तें, पद से हटाया जाना आदि सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अध्याय-4 में उल्लिखित है । सूचना आयुक्त की शक्तियां और कृत्य सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अध्याय-5 में वर्णित है।

2- उल्लेखनीय है कि उत्तर प्रदेश सूचना आयोग में सम्प्रति सूचना आयुक्त के दो पद रिक्त हैं। प्रशासनिक सुधार अनुभाग-2 की विज्ञप्ति संख्या-548/43-2-2014-15/2(2)/2014, दिनांक 14 अगस्त, 2014 व विज्ञप्ति संख्या-2/2016/286/43-2-2016-15/2(2)/2014, दिनांक 22 अगस्त, 2016 द्वारा सूचना आयुक्त के रिक्त पदों पर चयन हेतु आवेदन पत्र आमंत्रित किये गये थे। दिनांक 06 जनवरी, 2019 को सूचना आयुक्त के 08 पद और रिक्त हो जायेंगे। इस प्रकार सूचना आयुक्त के कुल दस पदों पर चयन की कार्यवाही सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के प्राविधानों के अनुसार किया जाना है।

3- सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 में प्राविधान है कि राज्य सूचना आयुक्त विधि, विज्ञान और प्रोद्योगिकी, समाज सेवा, प्रबंधन, पत्रकारिता, जनसम्पर्क माध्यम या प्रशासन और शासन में व्यापक ज्ञान और अनुभव रखने वाले समाज में प्रख्यात व्यक्ति होंगे।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

4- इसके अतिरिक्त राज्य सूचना आयुक्त यथास्थिति संसद का सदस्य या किसी राज्य या संघ राज्यक्षेत्र के विधान मंडल का सदस्य नहीं होगा या कोई अन्य लाभ का पद धारण नहीं करेगा या किसी राजनीतिक दल से संबद्ध नहीं होगा या कोई कारोबार नहीं करेगा या कोई वृत्ति नहीं करेगा। यह स्पष्ट किया जाता है की सूचना आयुक्त के रूप में नियुक्ति से पूर्व सम्बंधित व्यक्ति को लाभ का पद, कोई कारोबार या व्यापार छोड़ना/बंद करना होगा।

5- सूचना आयुक्त उस तारीख से जिसको वह अपना पद ग्रहण करता है, 05 वर्ष की अवधि के लिए या 65 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक, इनमें से जो भी पूर्वतर हो, पद धारण करेगा और राज्य सूचना आयुक्त के रूप में पुनर्नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा। सूचना आयुक्त को वेतन एवं भत्ते राज्य सरकार के मुख्य सचिव के समान देय होंगे, बशर्ते कि इस अधिनियम के प्राविधानों के अनुसार उनके द्वारा लिए गये पेंशन/सेवानिवृत्तिक लाभ (यदि कोई हो), को समायोजित कर लिया जायेगा ।

6- राज्य सूचना आयुक्त की नियुक्ति के लिए उक्त मापदंड पूरा करने वाले इच्छुक व्यक्ति अपना विवरण निर्धारित प्रारूप-1 में भरकर संयुक्त निदेशक, प्रशासनिक सुधार निदेशालय, उ०प्र०, दरबारी लाल शर्मा भवन, लखनऊ-226001 (विधान भवन गेट न०-6 के सामने) को **दिनांक 04 अक्टूबर, 2018** तक पंजीकृत डाक से भिजवायें अथवा कार्य दिवस में प्रात: 10.00 बजे से सायं 05.00 बजे तक दस्ती पहुँचाकर प्राप्ति रसीद ले सकते हैं **दिनांक 04 अक्टूबर, 2018 को सायं 05.00 बजे के बाद प्राप्त होने वाला कोई आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किया जायेगा।** राज्य या केन्द्रीय सरकार या किसी अन्य संगठन के अंतर्गत सेवारत व्यक्ति अपना प्रार्थना पत्र समुचित माध्यम से **दिनांक 04 अक्टूबर, 2018 को सायं 05.00 बजे तक** भिजवायें । उसके पश्चात् प्राप्त होने वाले आवेदन पत्रों को किसी भी दशा में स्वीकार नहीं किया जायेगा।

7- प्रशासनिक सुधार अनुभाग-२ की पूर्व में निर्गत विज्ञप्ति संख्या-548/43-2-2014-15/2(2)/2014, दिनांक 14 अगस्त, 2014 व विज्ञप्ति संख्या-2/2016/286/43-2-2016-15/2(2)/2014, दिनांक 22 अगस्त, 2016 के अंतर्गत प्राप्त आवेदन पत्रों में से अपूर्ण आवेदन पत्रों के आवेदकों को छोड़कर शेष आवेदकों को पुन: आवेदन करने की आवश्यकता नहीं है। अपूर्ण आवेदन पत्रों के आवेदकों को पृथक से सूचित कर दिया गया है।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

पूर्व में निर्गत विज्ञापन दिनांक 14 अगस्त, 2014 व दिनांक 22 अगस्त, 2016 के सापेक्ष प्राप्त उन आवेदकों के आवेदन पत्र पर विचार नहीं जायेगा जिन आवेदकों की आयु इस विज्ञापन के जारी होने की तिथि को 65 वर्ष पूर्ण हो चुकी है

8- प्रार्थना पत्र के साथ अभ्यर्थी को इस आशय का स्व-प्रमाणित घोषणा-पत्र प्रारूप-2 में देना अनिवार्य है कि जो भी सूचनाएं एवं प्रमाण पत्र वह प्रार्थना पत्र के साथ सलंग्न कर रहे हैं, वह सत्य है।

9- प्रार्थना पत्र के साथ आवेदन शुल्क हेतु प्रत्येक अभ्यर्थी द्वारा रू 2000/- (रुपये दो हज़ार मात्र) का भारतीय स्टेट बैंक से जारी ड्राफ्ट संलग्न करना होगा जो "**अपर मुख्य सचिव, प्रशासनिक सुधार विभाग, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ"** के पक्ष में देय होगा|

10- अपर मुख्य सचिव, प्रशासनिक सुधार विभाग, उ०प्र० शासन की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा सभी प्राप्त आवेदनों पत्रों की स्क्रीनिंग की जायेगी| तत्पश्चात राज्य सूचना आयुक्त की नियुक्ति सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अध्याय-4 की धारा-15(3) के अन्तर्गत मा० मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में गठित समिति की सिफ़ारिश पर श्री राज्यपाल महोदय द्वारा की जायेगी |

11- यह विज्ञप्ति वेबसाइट http://shasanadesh.up.nic.in में प्रशासनिक सुधार विभाग (प्रशासनिक सुधार अनुभाग-2) के अंतर्गत देखी जा सकती है |

संलग्नक- प्रारूप-1/प्रारूप-2 |

(एस०एन० शुक्ल)
अपर मुख्य सचिव
प्रशासनिक सुधार विभाग|

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

प्रारूप-1

उत्तर प्रदेश सूचना आयोग में सूचना आयुक्त के पद पर विचारार्थ विवरण

नवीनतम पासपोर्ट आकार का अभिप्रमाणित फोटो

1- नाम

२- जन्मतिथि

3- वर्तमान पता

4- संपर्क विवरण

(क) दूरभाष (एसटीडी कोड सहित)

(ख) मोबाइल

5- ई-मेल पता

6- शैक्षिक अर्हताएं

7- विशेषज्ञता क्षेत्र

7- वर्तमान व्यवसाय/ नौकरी

8- उपलब्धियां/ कार्य अनुभव (संलग्नक के अनुसार)

9- आवदेन शुल्क का विवरण

(क) बैंक ड्राफ्ट की संख्या

(ख) जारी होने का दिनांक

घोषणा

मैं एतद्द्वारा घोषणा करता/करती हूँ कि उपर्युक्त शैक्षिक एवं अन्य अर्हता सम्बन्धी सूचनाएं मेरी जानकारी में पूर्ण एवं सत्य हैं यदि कोई दी गयी सूचना सही नहीं पाई जाती है तो अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जाए|

दिनांक हस्ताक्षर

स्थान नाम

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

प्रारूप-2

स्व-प्रमाणित घोषणा पत्र

मैं.....पुत्र/पुत्री/पत्नी/श्री/श्रीमती.....उम्र.....वर्ष. .....व्यवसाय.....निवासी.....प्रमाणित करते हुए घोषणा करता/करती हूँ कि आवेदन पत्र में दिए गये विवरण/तथ्य मेरी व्यक्तिगत जानकारी एवं विश्वास में शुद्ध एवं सत्य है| मैंने उसमें कुछ भी छुपाया नहीं है | मैं मिथ्या विवरणों/तथ्यों को देने के परिणामों से भली-भाति अवगत हूँ | यदि आवेदन पत्र में दिए गये कोई विवरण/तथ्य मिथ्या पाए जाते हैं, तो मैं भा०द०वि०, 1960 की धारा-199 व 200 एवं प्रभावी किसी अन्य विधि के अंतर्गत अभियोजन एवं दंड के लिए, स्वयं उत्तरदायी होऊँगा/होऊँगी|

मैं यह भी घोषणा करता/करती हूँ कि यदि मेरे द्वारा की गयी दस्तावेजों का स्व-प्रमाणीकरण या घोषणा गलत पायी जाती है या मेरे द्वारा गलत दस्तावेजों का स्व-प्रमाणीकरण किया जाता/गया है, तो मेरे द्वारा प्राप्त की गयी सभी प्रकार की सुविधाएँ तत्काल वापस ले लीं जाएँ|

स्थान — आवेदक/आवेदिका के हस्ताक्षर.....

दिनांक — आवेदक/आवेदिका का नाम.....

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

प्रारूप-1 का संलग्नक

उत्तर प्रदेश सूचना आयोग में सूचना आयुक्त के पद पर आवेदन करने वाले आवेदकों की उपलब्धियां/कार्य अनुभव का विवरण

क्र०सं०	धारित पद	संगठन का नाम	समयावधि		उपलब्धियां/कार्य अनुभव का विवरण (संक्षेप में)
			कब से	कब तक	
1.					
2.					
3.					
4.					
5.					

हस्ताक्षर.....

आवेदक का नाम.....

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।